GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-189
ANSWERED ON-20/12/2023

DEATHS DUE TO ROAD ACCIDENTS

189. SHRI DHIRAJ PRASAD SAHU:

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) the number of road accidents and deaths on roads in the country in last three years, State-wise;
(b) the measures, including new policies, infrastructure development, behavioural interventions and awareness campaigns taken by Government during the last three years to improve road safety and reduce the number of deaths due to road accidents;
(c) the details of budgetary allocations and expenditure for road safety initiatives during the last three years; and
(d) the details of progress made, State-wise, in reducing road accidents and deaths on roads and the results of the measures implemented?

ANSWER

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(SHRI NITIN JAIRAM GADKARI)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 189 FOR ANSWER ON 20.12.2023 ASKED BY SHRI DHIRAJ PRASAD SAHU REGARDING DEATHS DUE TO ROAD ACCIDENTS

(a) As per data received from Police Departments of States/Union Territories, details of State/UTs-wise road accidents, fatalities occurred in the country during last three years is attached as per **Annexure - I**.

(b) Ministry has formulated a multi-pronged strategy to address the issue of road safety based on Education, Engineering (both of roads and vehicles), Enforcement and Emergency Care. Accordingly, various initiatives have been taken by the Ministry as detailed attached as per **Annexure-II**.

(c) Road Safety is an integral and indispensable component of every National Highways Project. Road Safety initiatives on National Highways commence with the inception of Detail Project report as road safety audit of all National Highways projects has been made mandatory at all stages i.e. design, construction, operation & maintenance through third party auditors/experts. As per available data, funds allocated to be spent for comprehensive road safety aspects varies from 2.21 % to 15 % of total cost of the development projects depending upon structures involved for construction of National Highways.

Besides, Ministry also implements scheme for creation of awareness & publicity among road users and to provide financial support to Department of Transports of States/UTs for setting up of Model Driving Training Institutes/Centres, setting up of Model Inspection & Certification Centres, improving and Strengthening of Public Transport System etc. The details of funds released by the Ministry for these initiatives during the last three FYs are as under: -

(Rs in Crores)

Sl. No.	**Activity/ Programme**	**BE FY 2020-21**	**Expenditure in FY 2020-21**	**BE FY 2021-22**	**Expenditure in FY 2021-22**	**BE FY 2022-23**	**Expenditure in FY 2022-23**
1	Road Safety publicity measures and awareness campaigns, NHARSS, refresher Training of Drivers in Unorganised Sector and Human Resource Development, etc.	171.00	65.94	109.00	41.48	189.50	68.67
2	Inspection and Certification Centres(Revenue)	29.00	16.20	29.00	14.15	33	14.60
3	Improving and Strengthening of Public Transport System	89.00	30.60	103.00	10.80	15.00*	30.33

**Rs.40.00 crore at RE Stage*

(d) As years 2020 and 2021 were Covid affected years, the number of road accidents and fatalities were reduced. Comparison of road accidents and fatalities during year 2022 with year 2019 indicates reduction in no. of road accidents and fatalities in the States of Assam, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh. Further, the number of the road accidents and fatalities data in terms of number of vehicles and road length indicates that the road accidents per 10,000 vehicles have reduced from 17.2 in 2018 to 11.9 in 2022 and accidents per 10,000 Kms of roads have reduced from 757 in 2018 to 688 in 2022. Similarly, road fatalities per 10,000 vehicles have reduced from 5.8 in 2018 to 4.3 in 2022 and fatalities per 10,000 Kms of roads have reduced from 254 in 2018 to 250 in 2022.

Annexure - I

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 189 ANSWERED ON 20TH DECEMBER, 2023 ASKED BY SHRI DHIRAJ PRASAD SAHU REGARDING DEATHS DUE TO ROAD ACCIDENTS

State/UT wise number of Road accidents and fatalities: -

Sl. No.	States/UTs	No. of Road Accidents			No. of Fatalities		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Andhra Pradesh	19509	21556	21249	7039	8186	8293
2	Arunachal Pradesh	134	283	227	73	157	148
3	Assam	6595	7411	7023	2629	3036	2994
4	Bihar	8639	9553	10801	6699	7660	8898
5	Chhattisgarh	11656	12375	13279	4606	5371	5834
6	Goa	2375	2849	3011	223	226	271
7	Gujarat	13398	15186	15751	6170	7452	7618
8	Haryana	9431	9933	10429	4507	4706	4915
9	Himachal Pradesh	2239	2404	2597	893	1052	1032
10	Jharkhand	4405	4728	5175	3044	3513	3898
11	Karnataka	34178	34647	39762	9760	10038	11702
12	Kerala	27877	33296	43910	2979	3429	4317
13	Madhya Pradesh	45266	48877	54432	11141	12057	13427
14	Maharashtra	24971	29477	33383	11569	13528	15224
15	Manipur	432	366	508	127	110	127
16	Meghalaya	214	245	246	144	187	162
17	Mizoram	53	69	133	42	56	113
18	Nagaland	500	746	489	53	55	73
19	Odisha	9817	10983	11663	4738	5081	5467
20	Punjab	5203	5871	6138	3898	4589	4756
21	Rajasthan	19114	20951	23614	9250	10043	11104
22	Sikkim	138	155	211	47	56	92
23	Tamil Nadu	49844	55682	64105	14527	15384	17884
24	Telangana	19172	21315	21619	6882	7557	7559
25	Tripura	466	479	575	192	194	241
26	Uttarakhand	1041	1405	1674	674	820	1042
27	Uttar Pradesh	34243	37729	41746	19149	21227	22595
28	West Bengal	10863	11937	13686	5128	5800	6002
29	A & N Islands	141	115	141	14	20	19
30	Chandigarh	159	208	237	53	96	83
31	D & N Haveli and Daman & Diu	100	140	196	64	76	90
32	Delhi	4178	4720	5652	1196	1239	1461
33	Jammu & Kashmir	4860	5452	6092	728	774	805
34	Ladakh	NA	236	374	NA	56	62
35	Lakshadweep	1	4	3	0	1	2
36	Puducherry	969	1049	1181	145	140	181
Total		372181	412432	461312	138383	153972	168491

NA – Not Available

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PART (b) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 189 ANSWERED ON 20TH DECEMBER, 2023 ASKED BY SHRI DHIRAJ PRASAD SAHU REGARDING DEATHS DUE TO ROAD ACCIDENTS

Details of various initiatives taken by the Ministry to address the issue of road safety : -

(1) Education:

i. Ministry administers Road Safety Advocacy Scheme to provide financial assistance to various agencies for raising awareness about road safety and for administering road safety programs.
ii. Observance of National Road Safety Month/Week every year for spreading awareness and strengthening road safety.
iii. Ministry administers a scheme for setting up of Institutes of Driving Training & Research (IDTRs), Regional Driving Training Centres (RDTCs) and Driving Training Centres (DTCs) at state/district level across the Country.

(2) Engineering (both of Roads and vehicles)

2.1. Road engineering:

i. Road Safety Audit (RSA) of all National Highways (NHs) has been made mandatory through third party auditors/ experts at all stages i.e. design, construction, operation and maintenance etc.

ii. High priority is accorded to identification and rectification of black spots /accident spots on NHs.

iii. Road Safety Officer (RSO) has been designated at each Regional Office of road owning agencies under the Ministry to look after RSA and other road safety related works.

iv. Ministry administers the electronic Detailed Accident Report (e-DAR) Project to establish a central repository for reporting, management and analysis of road accidents data across the Country.

v. Ministry has issued guidelines for the provision of signages on Expressways and National Highways by incorporating best practices and International standards to offer improved visibility and intuitive guidance to the drivers.

vi. Section 198A of the Motor Vehicles Act, 1988 provides for responsibility of any designated authority, contractor, consultant or concessionaire for the design or construction or maintenance of the safety standards of the road, as may be prescribed by the Central Government from time to time.

2.2 Vehicle engineering:

Ministry has taken various initiatives to make vehicles safer, including the following:-

i. Mandatory provision of an airbag for the passenger seated on the front seat of a vehicle, next to the driver.
ii. Prescribed norms related to safety measures for children below four years of age, riding or being carried on a motor cycle. It also specifies use of a safety harness, crash helmet and restricts speed to 40kmph.
iii. Mandatory provisions for fitment of following listed safety technologies: -

For M1 category vehicles:

- Seat Belt Reminder (SBR) for driver and co-driver.

- Manual Override for central locking system
- Over speed warning system.

For all M and N category vehicles:

- Reverse Parking Alert System

iv. Mandated Anti-Lock Braking System (ABS) for certain classes of L [Motor vehicle with less than four wheels and includes a Quadricycle], M [Motor vehicles with at least four wheels used for carrying passengers] and N [Motor vehicles with at least four wheels used for carrying goods which may also carry persons in addition to goods, subject to conditions stipulated in BIS standards] categories.

v. Mandated speed limiting function/speed limiting device in all transport vehicles, except for two wheelers, three wheelers, quadricycles, fire tenders, ambulances and police vehicles.

vi. Published the rules for recognition, regulation and control of Automated Testing Stations, which define the procedure for fitness testing of vehicles through automated equipment and the procedure for grant of fitness certificate by ATSs.

vii. Formulated the Vehicle Scrapping Policy based on incentives/dis-incentives and for creating an ecosystem to phase out older, unfit a polluting vehicles.

viii. A Scheme to set up one model Inspection & Certification Centre in each State/UT with Central assistance for testing the fitness of vehicles through an automated system.

ix. Published rules regarding the Bharat New Car Assessment Program (BNCAP) to introduce the concept of safety rating of passenger cars and empower consumers to take informed decisions.

(3) Enforcement:

i. The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 as stands implemented provides for strict penalties for ensuring compliance and enhancing deterrence for violation of traffic rules and strict enforcement through use of technology.

ii. Ministry has issued rules for Electronic Monitoring and Enforcement of Road Safety. The rules specify the detailed provisions for placement of electronic enforcement devices on high risk & high density corridors on National Highways, State Highways and critical junctions in cities with more than one million population.

(4) Emergency care:

i. Ministry has for the protection of Good Samaritan, who in good faith, voluntarily and without expectation of any reward or compensation renders emergency medical or nonmedical care or assistance at the scene of an accident to the victim or transports such victim to the hospital.

ii. Ministry has enhanced compensation of victims of Hit and Run motor accidents (from Rs. 12,500 to Rs. 50,000 for grievous hurt and from Rs. 25,000 to Rs. 2,00,000 for death).

iii. The National Highways Authority of India has made provisions for ambulances with paramedical staff/Emergency Medical Technician/Nurse at toll plazas on the completed corridor of National Highways.

*****

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *189
जिसका उत्तर 20.12.2023 को दिया जाना है
सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई मौतें

***189. श्री धीरज प्रसाद साहू:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं और उनमें सड़कों पर हुई मौतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा में सुधार लाने और सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए नई नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास, व्यवहार संबंधी हस्तक्षेप और जागरूकता अभियानों सहित क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा संबंधी पहल के लिए किए गए बजटीय आवंटनों और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़क दुर्घटनाओं और सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के संबंध में राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है और लागू किए गए उपायों के क्या परिणाम निकले?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों" के संबंध में श्री धीरज प्रसाद साहू द्वारा दिनांक 20.12.2023 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 189 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं, मौतों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में संलग्न है।

(ख) मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने के लिए शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर एक बहु-आयामी रणनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं जिनका विवरण अनुबंध-II में संलग्न है।

(ग) सड़क सुरक्षा, प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा पहल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की शुरुआत के साथ शुरू होती है, क्योंकि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा सभी चरणों यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, व्यापक सड़क सुरक्षा पहलुओं के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में शामिल संरचनाओं के आधार पर विकास परियोजनाओं की कुल लागत का 2.21% से 15% तक होती है।

इसके अलावा, मंत्रालय सड़क उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रचार प्रसार करने और आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों की स्थापना, आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थापना तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना भी लागू करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन पहलों के लिए मंत्रालय द्वारा जारी निधि का विवरण इस प्रकार है: -

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	गतिविधि/कार्यक्रम	अनुमानित बजट वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2020-21में व्यय	अनुमानित बजट वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2021-22में व्यय	अनुमानित बजट वित्त वर्ष 2022-23	वित्तवर्ष 2022-23में व्यय
1	सड़क सुरक्षा प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान, एनएचएआरएसएस, असंगठित क्षेत्र में ड्राइवरों का पुनश्चर्या	171.00	65.94	109.00	41.48	189.50	68.67

	प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास, आदि।						
2	निरीक्षण एवं प्रमाणन केन्द्र (राजस्व)	29.00	16.20	29.00	14.15	33	14.60
3	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण	89.00	30.60	103.00	10.80	15.99*	30.33

* आरई स्तर पर 40.00 करोड़ रु.

(घ) चूंकि वर्ष 2020 और 2021 कोविड प्रभावित वर्ष थे, इसलिए सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी आई। वर्ष 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की तुलना वर्ष 2019 से करने पर असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में कमी का संकेत मिलता है। इसके अलावा, वाहनों की संख्या और सड़क की लंबाई के संदर्भ में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति 10,000 वाहनों पर सड़क दुर्घटनाएं 2018 में 17.2 से कम होकर 2022 में 11.9 हो गई हैं और प्रति 10,000 किलोमीटर पर सड़कों दुर्घटनाएं 2018 में 757 से कम होकर 2022 में 688 हो गई हैं। इसी प्रकार, प्रति 10,000 वाहनों पर सड़क मृत्यु दर 2018 में 5.8 से घटकर 2022 में 4.3 हो गई है और प्रति 10,000 किलोमीटर सड़क पर मृत्यु दर 2018 में 254 से घटकर 2022 में 250 हो गई है।

अनुबंध-I

"सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों" के संबंध में श्री धीरज प्रसाद साहू द्वारा दिनांक 20.12.2023 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 189 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सड़क दुर्घटनाओं और मृतकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या			मौतों की संख्या		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	19509	21556	21249	7039	8186	8293
2	अरुणाचल प्रदेश	134	283	227	73	157	148
3	असम	6595	7411	7023	2629	3036	2994
4	बिहार	8639	9553	10801	6699	7660	8898
5	छत्तीसगढ	11656	12375	13279	4606	5371	5834
6	गोवा	2375	2849	3011	223	226	271
7	गुजरात	13398	15186	15751	6170	7452	7618
8	हरियाणा	9431	9933	10429	4507	4706	4915
9	हिमाचल प्रदेश	2239	2404	2597	893	1052	1032
10	झारखंड	4405	4728	5175	3044	3513	3898
11	कर्नाटक	34178	34647	39762	9760	10038	11702
12	केरल	27877	33296	43910	2979	3429	4317
13	मध्य प्रदेश	45266	48877	54432	11141	12057	13427
14	महाराष्ट्र	24971	29477	33383	11569	13528	15224
15	मणिपुर	432	366	508	127	110	127
16	मेघालय	214	245	246	144	187	162
17	मिजोरम	53	69	133	42	56	113
18	नागालैंड	500	746	489	53	55	73
19	ओडिशा	9817	10983	11663	4738	5081	5467
20	पंजाब	5203	5871	6138	3898	4589	4756
21	राजस्थान	19114	20951	23614	9250	10043	11104
22	सिक्किम	138	155	211	47	56	92
23	तमिलनाडु	49844	55682	64105	14527	15384	17884

24	तेलंगाना	19172	21315	21619	6882	7557	7559
25	त्रिपुरा	466	479	575	192	194	241
26	उत्तराखंड	1041	1405	1674	674	820	1042
27	उत्तर प्रदेश	34243	37729	41746	19149	21227	22595
28	पश्चिम बंगाल	10863	11937	13686	5128	5800	6002
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	141	115	141	14	20	19
30	चंडीगढ़	159	208	237	53	96	83
31	दादरऔरनागर हवेली और दमन और दीव	100	140	196	64	76	90
32	दिल्ली	4178	4720	5652	1196	1239	1461
33	जम्मू एवं कश्मीर	4860	5452	6092	728	774	805
34	लद्दाख	एनए	236	374	एनए	56	62
35	लक्षद्वीप	1	4	3	0	1	2
36	पुदुचेरी	969	1049	1181	145	140	181
	कुल	372181	412432	461312	138383	153972	168491

एनए - उपलब्ध नहीं है

अनुबंध - II

"सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों" के संबंध में श्री धीरज प्रसाद साहू द्‌वारादिनांक 20.12.2023 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 189 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए मंत्रालय द्‌वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण: -

(1) शिक्षा:

i. मंत्रालय सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के संचालन के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सड़क सुरक्षा वकालत योजना का संचालन करता है।
ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।
iii. मंत्रालय, ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरेदेश में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना हेतु एक योजना लागू कर रहा है।

(2) इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग:

i. सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।
iii. आरएसए और सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों को देखने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को नियुक्त किया गया है।
iv. मंत्रालय देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना का संचालन करता है।

v. मंत्रालय ने ड्राइवरों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शामिल करके एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

vi. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 198क में सड़क की डिजाइन, निर्माण या रख-रखाव के लिए सुरक्षा मानकों, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हो, के लिए कोई भी नामित प्राधिकारी, ठेकेदार,परामर्शदाता या रियायतग्राही की जिम्मेदारी के प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

मंत्रालय ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान कोअधिसूचित किया है।

ii. सुरक्षा उपायों से संबंधित निर्धारित मानदंड के माध्यम सेमोटर साइकिल पर सवारी करने या ले जाने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, इसमें एक सुरक्षा हार्नेस, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित किया गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के फिटमेंट के लिए अनिवार्य प्रावधान:

एम 1श्रेणी के वाहनों के लिए:

- चालक और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- ओवर स्पीडिंग चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. मंत्रालय ने एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) अधिदेशित किया है।

v. मंत्रालय ने दो पहिया, तीन पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रण फंक्शन/ गति नियंत्रण डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए गए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं।

vii. प्रोत्साहनों/निराशाओं के आधार पर और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने, अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की गई।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की एकयोजना है।

ix. भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) के नियम जो यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा का परिचय देता है और उपभोक्ता को सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।

(3) प्रवर्तन:

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यातायात नियमों काअनुपालन सुनिश्चित करने और इनके उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान किया गया है।

ii. मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए हैं। नियम राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों की नियुक्ति के लिए विस्तृत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हैं।

(4) आपातकालीन सेवा:

I. मंत्रालय नेऐसेगुड समारिटन्स की सुरक्षा के लिए, जो भलाई की मंशा से स्वेच्छा से तथाबिना किसी इनाम या मुआवजे की उम्मीद के दुर्घटना के समय पीड़ित कीआपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सीय देखभाल करतेया सहायता करते हैंया ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं।

II. मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक बढ़ा दिया है ।

III. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।

*****

MR. CHAIRMAN: Any supplementaries?

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the question basically is about road accidents and road safety, particularly on the National Highways. I understand this. The hon. Minister has announced a very ambitious plan to have an underwater highway in Assam in the Brahmaputra. Already the concept paper has been drawn. The DPR is going to be drawn. It has been given to an agency. I want to know whether the aspect of accident prevention and safety will be a priority condition in that.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Sir, our automobile industry is the fastest growing industry in the world. When I took over the charge as the Minister, our number was seven and total size of the industry was Rs.7.5 lakh crore. Presently, the size of the industry is Rs.12.5 lakh crore. We have just surpassed Japan and now our number is third. First is China, second is USA and third is India. The ambition of our Government, under the leadership of Prime Minister, Modi *ji,* is that within five years, we will be number one in the world. On the one hand, automobile number is increasing. The industry is very important because this is the industry which is giving maximum revenue as a part of GST to the State and Central Governments. This is the industry which is giving 4,50,00,000 jobs. This is the industry which has maximum export. Now the problem is that when automobile number has increased and population has increased, we need to increase the road length. And for that reason, we are using different types of modes and different types of technologies. Some of the technologies that we are using include ropeway, cable car, funicular railway and electric bus. Somewhere we are developing waterways. Somewhere we are using amphibious seaplanes. Somewhere we are making some underwater roads also. There are new technologies that are available in the world. On the basis of that, we need to improve our transport system. The project, which is suggested by the hon. Member, is under consideration and we will work on it.

MR. CHAIRMAN: Shrimati Seema Dwivedi. This is the last supplementary Question.

श्रीमती सीमा द्विवेदी : सभापति महोदय, मैं अपने विद्वान मंत्री माननीय नितिन जयराम गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके नित नवीन अच्छे प्रयासों से दुर्घटनाओं में कमी आई है और ऐसे कई प्रांतों में हमारा उत्तर प्रदेश भी एक प्रांत है, जहाँ इन दुर्घटनाओं में कमी आई है। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि NHs में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसका एक प्रमुख कारण आवारा पशु होते हैं, जैसे कि नीलगाय। नीलगाय एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से जानना चाहती हूं कि NHs पर नीलगाय जैसे जानवरों के आने से दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी होती है, क्या इन्हें रोकने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्या जो बता रही हैं, वह प्रॉब्लम सही है। एक तरफ हम एक्सस कंट्रोल एक्सप्रैस हाईवे बना रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग जानवर लेकर रोड पर घुसते हैं। मैं अभी ग्वालियर से दतिया तक गया था, वहाँ रात को पूरी रोड पर जानवर छोड़ दिए गए थे। यह प्रॉब्लम ज्यादातर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके कारण एक्सिडेंट्स भी होते हैं। महोदय, रोड की बाजू में विशेष रूप से भैंसों और गायों के जो पुराने तबेले खड़े हैं, वे लोग उन्हें कभी भी छोड़ देते हैं और रात में स्पीड से गाड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से अंधेरे में एक्सिडेंट्स होते हैं, हम लोग उनके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। महोदय, रोड पर कानून और सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ईटको-फ्रेंडली बैंबू क्रैश बैरियर बना रहे हैं, ताकि यह न आए। आदरणीय सभापति महोदय, दूसरी सबसे अच्छी बात आपके ही प्रदेश में है। मैं आपसे भी एक अनुरोध करूँगा। आपके राजस्थान में जो जंगल है, वहाँ जंगल ऊपर है और टनल अंदर बनाई है, ताकि ऊपर से प्राणी जा सकें और नीचे से ट्रैफिक जा सके। हमारे यहाँ जबलपुर से नागपुर के बीच पेंच के पास एक बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि कोई भी जानवर रोड पर नहीं आ सके, पर इसे करने में खर्चा खूब लगेगा। मैंने राज्य सरकारों के सभी गृह मंत्रियों को पत्र लिखा था कि ये रात को जो जानवर छोड़ देते हैं, गाँव में यह जो आदत है, आप इसके ऊपर कहीं-न-कहीं कानूनी प्रतिबंध लगाइए।

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, Paris is a city that does not have flyovers; it has only underpasses. And the underpasses are also very, very long.